

क्रमांक 4211 / 45 / 2019-20  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,  
तुलसी नगर भोपाल - 462 003  
दूरभाष 2552646, 2552878, फ़ैक्स 2552406  
Email ID- encwrdbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 26 दिसंबर, 2019

प्रति,

समस्त कार्यपालन यंत्री (मैदानी)  
जल संसाधन विभाग, म0प्र0

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 के चतुर्थ त्रैमास वृहद/मध्यम एवं लघु योजनाओं में भू-अर्जन भुगतान हेतु आवश्यकता के संबंध ।

विषयान्तर्गत उल्लेख है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के चतुर्थ त्रैमास में अनुपूरक बजट में प्राप्त होने वाली राशि से भू-अर्जन भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराया जाना है, जिस हेतु परियोजनावार विवरण की आवश्यकता है ।

यह भी उल्लेख है कि कुछ परियोजनाओं में पात्रता से अधिक राशि भू-अर्जन अधिकारियों को जमा की गई है तथा कुछ परियोजनाओं में भू-अर्जन मद में राशि जमा किये जाने के पश्चात योजना में विविध कारणों अथवा कृषको के विरोध से योजना विलंबित हो जाने से राशि का भुगतान कृषको को नहीं किया गया हो । ऐसी शेष राशि की जानकारी कलेक्टर कार्यालयों से प्राप्त कर अवगत कराया जावे ।

अतः संलग्न प्रपत्र में विवरण तैयार कर MS Excell में soft प्रति दिनांक 04/01/2020 तक ईमेल cao.eincwrdbpl@gmail.com में भेजना सुनिश्चित करें ।

सहपत्र - एक प्रपत्र

(शिरिष मिश्रा)  
मुख्य अभियंता (बजट)  
जल संसाधन विभाग

पृ.क्रं. 4211 / 45 / 2019-20

प्रतिलिपि :

1. समस्त मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, म0प्र0 ।
2. संबंधित अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल (मैदानी) जल संसाधन विभाग, म0प्र0 ।
3. वेब मैनेजर, एम.एण्ड ई कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल ।

सहपत्र - एक प्रपत्र

भोपाल : दिनांक 26 / 12 / 19

(शिरिष मिश्रा)  
मुख्य अभियंता (बजट)  
जल संसाधन विभाग, भोपाल म0प्र0

**वित्तीय वर्ष 2019-20 के चतुर्थ त्रैमास में वृहद / मध्यम एवं लघु योजनाओं के भू-अर्जन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता**

राशि रु. लाख में

स.क्रं.	योजना का नाम	लेखाशीर्ष	योजना से कुल प्रभावित भूमि (हेक्टर)		भू-अर्जन की कुल राशि (अवार्ड)	अवार्ड पारित होने का दिनांक	यदि अवार्ड पारित नहीं हुआ है प्रकरण की स्थिति	कुल जमा की गई राशि	शेष राशि जो भुगतान की जाना है। (6-9)	यदि पात्रता राशि से अधिक भुगतान किया गया हो अथवा भू-अर्जन राशि जमा करने के पश्चात योजना विलंबित होने से उपलब्ध (अवरुद्ध) राशि	आवंटन उपलब्ध होने पर भुगतान हो सकने वाली राशि (चतुर्थ त्रैमास में)		
			अधिग्रहित भूमि (हेक्टर)	शेष भूमि (हेक्टर)							जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट :- 1/ कॉलम 10 में वह राशि अंकित की जावे, जो भू-अर्जन अधिकारियों के पास अवितरित आधिक्य में रखी है।  
 2/ कॉलम 11, 12 एवं वही राशि अंकित करें, जो उक्त माह में भुगतान की जा सके।

कार्यपालन यंत्री